

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर

क्रमांक: प.४(ङ)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ ९५

दिनांक: १९/०१/२०१८

अधिसूचना

राज्य सरकार, पूर्व में जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.४(ङ)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ 1191–1260 दिनांक: 02.11.16 की क्रम संख्या १ पर अंकित नगरपालिका, वैर में मनोनीत सहवृत्त सदस्यों का मनोनयन निरस्त करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा ६ (1) (क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेश अथवा नगरीय निकाय की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नलिखित नगरीय निकायों में उनके नाम के समुख अंकित व्यक्तियों को एतद्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	व्यक्ति का नाम
1.	वैर (भरतपुर)	1. श्री लोकेश पुत्र श्री सुरेश बडा 2. श्री हीरालाल पुत्र श्री प्रभातीलाल 3. श्री अनिल कौशिक पुत्र श्री रामबाबू शर्मा 4. श्री बल्लाराम धाकड़ पुत्र श्री गिर्ज प्रसाद
2.	टोडाभीम(करौली)	1. श्री मुकेश मीणा 2. श्री राजकुमार राजावत 3. श्री राकेश सिंघल 4. श्री विजय कुमार शर्मा
3.	जैसलमेर	1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री खेताराम गोयल की जगह श्री कैलाश दैया 2. श्रीमती समता व्यास 3. श्री मनमोहन भाटिया 4. श्री डूंगराराम ओड की जगह श्रीमती कानू पत्नी श्री दलपतराम
4.	चौमू (जयपुर)	1. श्री कालूराम जाट पुत्र श्री बिरमाराम जाट दूलसिंह की ढाणी 2. श्री रामस्वरूप जागीड़ पुत्र श्री हनुमान सहाय श्री हनुमान काम्पलेक्स राधास्वामी बाग 3. श्री चौथमल डूडलोदिया पुत्र श्री मनसाराम डूडलोदिया, इन्द्र कॉलोनी 4. श्री किशोर कुमार गंगवाल पुत्र श्री रघुवर दयाल वार्ड न. 29 आमलिया रींगस रोड

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.४(ङ)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ ९६—११९

दिनांक: १९/०१/२

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा० मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
05. जिला कलक्टर, भरतपुर, करौली, जैसलमेर एवं जयपुर।
06. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों, को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत्/मनोनीत सदस्यों को उनकी नियमानुसार निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की जांच कर एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करे।
07. निदेशक/अधीक्षक, लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राज० राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति भिजवाने का श्रम करे।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज०, जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर।
10. आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी, नगरीय निकाय, वैर(भरतपुर), टोडाभीम(करौली), जैसलमेर एवं चौमू(जयपुर) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत्/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित कर एवं उनकी नियमानुसार निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की जांच कर संबंधित उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करावें।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी